भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 96

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रावास आबंटन में विसंगतियां

† 96. श्री एम. के. राघवनः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों को छात्रावासों के आबंटन में कोई विसंगति पाई है क्योंकि कई शिकायतों में यह पाया गया है कि विश्वविद्यालय एक ही राज्य अथवा क्षेत्र के छात्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं और इस प्रकार दूरस्थ स्थानों से आने वाले छात्रों को दरकिनार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों को कम करने/उनका समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रावास आवंटित करने के लिए कोई मानदण्ड हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों को छात्रावासों के आवंटन में सरकार के संज्ञान में कोई विसंगति नहीं आई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं, जो संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित हैं और उनके संबंधित अधिनियम, संविधि और उसके तहत बनाए गए अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रावासों का आवंटन उनके संबंधित नियमों/विनियमों/अध्यादेशों के अनुसार किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रावास आवंटन के लिए स्थापित मानदंड और दिशा-निर्देश हैं, जो पारदर्शी, योग्यता-आधारित और न्यायसंगत आवंटन प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। छात्रों को निवास की दूरी, शैक्षणिक प्रदर्शन, सामाजिक श्रेणी और दिव्यांग छात्रों की विशेष आवश्यकताओं जैसे कारकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है।

*****